[2021] 4 एस.सी.आर. 1019

खुशी राम और अन्य

बनाम

नवल सिंह और अन्य

(सिविल अपील सं. 5167/2010)

22 फरवरी, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – एस. 15–उत्तराधिकारगण (उसके भाई के बेटे)–उत्तरदाताओं ने 'जे' के खिलाफ दावा करते हुए मुकदमा दायर किया उसके कब्जे में मालिकों के रूप में घोषणा की डिक्री–उत्तरदाताओं '

उसके द्वारा स्वीकार किया गया दावा, उसके पक्ष में सहमति आदेश पारित किया गया उत्तरदाता–अपीलार्थी (जे के दिवंगत पति के भाई के वंशज)

डिक्री को अमान्य घोषित करने के लिए दायर किया गया मुकदमा–खारिज की गई पहली और दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई–आयोजितः एस. 15 (1) (डी)

इंगित करता है कि एक महिला के पिता के उत्तराधिकारी में शामिल हैं उत्तराधिकारी जो सफल हो सकते हैं–इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्तरदाता जे के भतीजे अजनबी थे न कि सदस्य उसका परिवार–इसके अलावा, जब उसने समझौता किया तो वह पूर्ण मालिक थी–सभी न्यायालयों ने सही ढंग से मुकदमा खारिज कर दिया अपीलार्थी, जिन्हें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 एस। 17 (2) (vi)।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 – धारा 17 (1) (बी), 17 (2) (vi)–यदि आवश्यक हो तो पारिवारिक समझौते के आधार पर पारित सहमति डिक्री।

पंजीकरण–आयोजितः वर्तमान मामले में मुद्दा पूरी तरह से कवर किया गया है मोहम्मद यूसुफ और ओरस में निर्णय। वी. राजकुमार और अन्य 2020 (3) स्केल 146 के रूप में सूचित किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि

जिस डिक्री को प्रदर्शित करने की मांग की गई थी, उसके संबंध में था

संपत्ति जो वाद का विषय थी, इसलिए, धाराओं के अपवर्जन खंड द्वारा कवर नहीं की गई थी। 17 (2) (vi) और पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी

– वर्तमान मामले में भी, विषय से संबंधित सहमति आदेश वाद का मामला, इस प्रकार यू/एस पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी। 17 (2) (vi)–निम्न न्यायालयों ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि डिक्री की आवश्यकता नहीं थी

पंजीकरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शब्द और वाक्यांश–"परिवार"–अवधारणा–चर्चा की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1991 के पहले के दीवानी मुकदमे No.317 में जिस पर सहमति आदेश पारित किया गया था।

19.08.1991 , मुक़दमे का विषय गाँव गढ़ी, बाजिदपुर में स्थित कृषि भूमि थी। इसके अलावा श्रीमती द्वारा दायर लिखित बयान पर मुकदमा चलाया गया। जे '(विधवा) वादी के इस दावे को स्वीकार करते हुए कि उन पक्षों के बीच पारिवारिक समझौता था जिसमें भूमि का आधा हिस्सा 1991 के दीवानी मुकदमे के वादी को दिया गया था। [पैरा 12] [1027–ई–एफ]

1.2 मोहम्मद यूसुफ और ओरस में। बनाम राजकुमार और अन्य। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस डिक्री के बाद से जिसकी मांग की गई थी

प्रदर्शित संपत्ति उस संपत्ति के संबंध में थी जो वाद का विषय थी, इसलिए, धारा 17 (2) (vi) के अपवर्जक खंड द्वारा कवर नहीं की गई थी और डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान मामले में मुद्दा उक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 19.08.1991 दिनांकित सहमति डिक्री मुकदमे की विषय वस्तु से संबंधित है, इसलिए इसे धारा 17 (2) (vi) के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। 19.08.1991 दिनांकित सहमति डिक्री पंजीकृत नहीं थी और नीचे दिए गए न्यायालयों ने उचित रूप से माना कि डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 20] [1036–जी–एच; 1037 ए]

मोहम्मद यूसुफ और अन्य। वी. राजकुमार और ओआरएस। 2020

(3) स्केल 146–पर भरोसा किया गया।

2.1 यह पता लगाना आवश्यक है कि परिवार की अवधारणा क्या है जिसके संबंध में पारिवारिक समझौता किया जा सकता है। प्रत्येक

पारिवारिक समझौते के तहत लाभ लेने वाले पक्ष को किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और संपत्ति पर संभावित दावा या दावा या यहां तक कि दावे की झलक भी होनी चाहिए। "परिवार" शब्द को व्यापक अर्थों में समझना होगा ताकि इसके दायरे में न केवल करीबी संबंध या कानूनी उत्तराधिकारी बल्कि उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके जो हो सकता है कि उनके पास किसी प्रकार का पूर्ववर्ती शीर्षक हो, एक दावे की झलक हो या भले ही उनके पास एक जासूस उत्तराधिकार हो। [पारस 22,23] [1037–सी–डी; 1038–ए–बी]

राम चरण दास बनाम। गिरजानंदिनी देवी और अन्य। [1965] 3 एससीआर 841; काले और ओआरएस। वी. खुशी राम और ओ. आर. एस. के उप निदेशक।

एस. सी. आर. 202 पर भरोसा किया

2.2 प्रतिवादी–प्रतिवादी भतीजे थे, अर्थात, जब उसने बस्ती में प्रवेश किया तो वह पूर्ण मालिक थी। इस दलील में कोई दम नहीं है कि प्रतिवादी–प्रतिवादी परिवार के लिए अजनबी थे। सभी न्यायालयों ने उचित रूप से खारिज कर दिया है वादी–अपीलार्थियों का मुकदमा, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पारस 26–29] [1042–F–G; 1043–B–E]

2008 की सिविल अपील संख्या 890 में न्यायालय–आयोजित अप्रयोज्य।

के. रघुनाथन और अन्य। वी. अली हुसैन साबिर और ओआरएस।

(2008) 13 एससीसी 102: [2008] 8 एस. सी. आर. 657–निर्भर।

भूप सिंह बनाम राम सिंह मेजर और अन्य। , (1995) 5

एससीसी 709 [1995] 3 पूरक। एससीआर 466, सोम देव और

ओआरएस। वी. रति राम और अन्र। , (2006) 10 एससीसी 788: [2006]

5 पूरक। एस. सी. आर. 778–संदर्भित।

	मामला कानून संदर्भ	
[1995] 3 पूरक। एससीआर 466	पैरा 13	संदर्भित किया गया है
[2006] 5 पूरक। एससीआर 778	पैरा 17	संदर्भित किया गया है
[2008] 8 एससीआर 657	पैरा 18	पर भरोसा करें
2020 (3) स्केल 146	पैरा 19	पर भरोसा करें
[1965] 3 एससीआर 841	पैरा 22	पर भरोसा करें
[1976] 3 एससीआर 202	पैरा 23	पर भरोसा करें
[2021] 4 एस. सी. आर.	पैरा 23	पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5167/2010 से

2002 के आर. एस. ए. सं. 750 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 16.04.2009 के निर्णय और आदेश से। मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रणबीर सिंह यादव, प्रतीक यादव, श्रीमती प्रतिमा यादव, रोहित कुमार सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति, अशोक भूषण

1. यह अपील सिविल सूट के वादी द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.04.2009 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज करना।

2. पक्षों की दलीलों से सामने आए मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

2.1 एक बदलू, जो कृषि भूमि का कार्यकाल–धारक था गाँव गढ़ी बाजिदपुर, तहसील और जिला गुड़गांव में स्थित, उनके दो बेटे बाली राम और शेर सिंह थे। वर्ष 1953 में शेर सिंह की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी विधवा श्रीमती को छोड़ दिया। जगनो। वादी–अपीलकर्ता बाली राम के वंशज हैं।

2.2 इसके बाद शेर सिंह की मृत्यु के बाद, उनकी विधवा को अपने दिवंगत पति का विरासत में मिला हिस्सा, यानी बादलू के स्वामित्व वाली कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा। 1991 का सिविल मुकदमा No.317 नवल द्वारा दायर किया गया था।

सिंह और दो अन्य श्रीमती के खिलाफ। गुड़गांव के उप–न्यायाधीश के न्यायालय में जगनो ने गाँव गढ़ी बाजिदपुर में स्थित आधे हिस्से की सीमा तक मुकदमे में उल्लिखित कृषि भूमि के कब्जे में मालिकों के रूप में घोषणा के आदेश का दावा किया। वादी का दावा था कि श्रीमती। जगनो, जो आधे हिस्से का हिस्सा था, ने एक पारिवारिक समझौते में वादी के पक्ष में भूमि का निपटारा किया है, जो थे श्रीमती के भाई के पुत्र। जगनो। श्रीमती. जगनो ने मुकदमे में यह स्वीकार करते हुए एक लिखित बयान दायर किया

2.3 वादियों का दावा। श्रीमती. जगनो ने वादियों के दावे को स्वीकार करते हुए मुकदमे में एक बयान भी दिया, निचली अदालत ने अपने फैसले और डिक्री दिनांक 19.08.1991 के माध्यम से वादी के पक्ष में सहमति डिक्री पारित की, जिसमें वादी के मालिकों को भूमि में आधे हिस्से के कब्जे में घोषित किया गया।

ऊशी रैम और उन्हें विचाराधीन भूमि के कब्जे में मालिक घोषित करना। 1991 के मुक़दमे No.79 में, प्रतिवादियों द्वारा एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया गया था। श्रीमती. जगनो 1991 के दीवानी मुक़दमे No.79 में प्रतिवादी नंबर 4 भी थे। अभियुक्तों ने किया समर्थन डिक्री दिनांकित 19.08.1991। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रेम और स्नेह के कारण पारिवारिक निपटान द्वारा भूमि का दावा किया, जिसे पारिवारिक निपटान को सिविल कोर्ट

डिक्री दिनांक 19.08.1991 द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी। आवश्यकता और विचार और धोखाधड़ी और अनुचित का परिणाम प्रभाव डालता है और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी है?

मुद्दा संख्या। 2 5 को प्रतिवादियों के पक्ष में जवाब दिया गया। निचली अदालत ने वादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि डिक्री के पंजीकरण के अभाव में, कोई भी अधिकार या अधिकार प्रतिवादियों के पक्ष में पारित नहीं होगा। निचली अदालत ने माना कि नए अधिकार बनाए जाने पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है पारिवारिक समझौते और दिनांकित डिक्री के समय मुकदमे की संपत्ति का कब्जा उनके पक्ष में समर्पण कर दिया। 19.08.1991 केवल उनके पूर्व–विद्यमान अधिकारों की पुष्टि करता है और इसलिए, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

फैसले से व्यथित वादी ने विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष पहली अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत एक हिंदू महिला पूर्ण स्वामी [2021] 4 एस. सी. आर. बन जाती है। उस संपत्ति का, जिसे वह पहले प्राप्त करती है अधिनियम का प्रारंभ और एक सीमित मालिक के रूप में नहीं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 4 के निकट संबंध होने के कारण, उन्हें उसके लिए अजनबी नहीं कहा जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह आदेश भी दिया कि

पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील को खारिज करते हुए की थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ पीड़ित, वादी ने 2002 का आर. एस. ए. No.750 दायर किया। दूसरी अपील कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर स्वीकार की गई थी:

" क्या प्रतिवादी–1 से 3 तक के किसी भी पूर्व–विद्यमान अधिकार के अभाव में, जगनो (जो प्रतिवादी–प्रतिवादी के पिता की बहन है) को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) के तहत एक डिक्री (प्रदर्शनी पी. 2) की आवश्यकता है? उच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ कानून के उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया

2.8 मौखिक द्वारा बनाए गए मौजूदा अधिकार को मान्यता दें पारिवारिक समझौता। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि श्रीमती के संबंध के अलावा। प्रतिवादियों के साथ जगनो–उत्तरदाता 1 से 3 तक, उसने प्रतिवादी उत्तरदाता संख्या के लिए घनिष्ठ संबंध, प्रेम और स्नेह विकसित किया है। 1 3 तक नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया, किस फैसले के खिलाफ, यह अपील

दाखिल किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रणबीर सिंह यादव और वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप को सुना है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील, श्री यादव प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमती द्वारा कोई पारिवारिक समझौता नहीं किया जा सकता था। जगनो के पक्ष में प्रतिवादी सं। 1 3, वे परिवार के लिए अजनबी

हैं। एक हिंदू विधवा अपने भाई के वंशजों, यानी अपने माता–पिता के साथ एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन नहीं कर सकती है। पारिवारिक समझौता केवल उन सदस्यों के बीच हो सकता है, जिनके पास संपत्ति में पूर्व स्वामित्व या पूर्व–मौजूदा अधिकार हैं। निपटाने का प्रस्ताव है। श्रीमती. जगनो केवल खुशी राम और ओआरएस के अनुसार उत्तरदाताओं के पक्ष में या किसी भी अजनबी को अपना पूर्ण हिस्सा हस्तांतरित कर सकती थी।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के आधार पर डिक्री अनिवार्य थी और 19.08.1991 दिनांकित डिक्री को पंजीकृत नहीं किया गया था। प्रतिवादी Nos.1 से 3 को कोई वैध अधिकार प्रदान नहीं करता है। नीचे दिए गए सभी न्यायालयों ने दिनांकित 19.08.1991 डिक्री को बरकरार रखने में त्रुटि की, जबकि डिक्री एक अपंजीकृत डिक्री होने के कारण इसे नजरअंदाज किया जा सकता था और इसे लागू घोषित किया जा सकता था।

5. श्री मनोज स्वरूप, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, अपीलार्थी के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि प्रतिवादी Nos.1 से 3 को मुकदमे की संपत्ति में पहले से अधिकार था, जो 1991 के सिविल सूट No.317 की दलीलों से स्पष्ट था। उपरोक्त मुकदमे में, यह स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि पारिवारिक समझौता /

व्यवस्था लगभग दो साल पहले हुई थी और तब से वादी जमीन के मालिक हैं और प्रतिवादी संख्या 4 ने उसमें अपने सभी अधिकारों को छोड़ दिया था।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिविल सूट दिनांक 19.08.1991 में पारित डिक्री ने केवल प्रतिवादी संख्या के मौजूदा अधिकारों की घोषणा की। 1 3 तक, जो पारिवारिक समझौते पर आधारित था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी सं। 1 3 श्रीमती के भाई के पुत्र हैं। जगनो, वे श्रीमती के लिए अजनबी नहीं थे। श्रीमती द्वारा जगनो और पारिवारिक निपटान में बहुत अच्छी तरह से प्रवेश किया जा सकता था। उनके साथ जगनो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पारिवारिक समझौते के उद्देश्य से "परिवार" शब्द नहीं दिया जाना चाहिए।

संकीर्ण अर्थ; इसका व्यापक अर्थ सदस्यों को शामिल करने के लिए दिया जाना चाहिए, जो किसी भी तरह से संबंधित हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 19.08.1991 दिनांकित डिक्री में भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में आदेश पारित किया गया था कि मुकदमा संपत्ति की विषय वस्तु, इसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (2) (vi) के आधार पर पंजीकरण से छूट दी गई थी। श्री स्वरूप ने आगे तर्क दिया कि पारिवारिक समझौता प्रेम और स्नेह से किया जा सकता था, जिसके संबंध में 1991 के दीवानी मुकदमे में और प्रेम और स्नेह प्रतिवादी संख्या 4, श्रीमती. जगनो प्रतिवादी संख्या के पक्ष में संपत्तियों का बहुत अच्छी तरह से निपटान कर सकता था। 1 3 तक, उसके भतीजे भाई के बेटे हैं।

7. पक्षों के विद्वान वकीलों ने अपनी–अपनी दलीलों के लिए इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है, जिन्हें संदर्भित किया जाएगा

प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते हुए।

8. 1991 का सिविल सूट No.79, जो इस अपील को जन्म देता है

एक मुकदमा था जिसमें वादी–अपीलार्थियों द्वारा निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया थाः

" 10. कि वादी, इसलिए, प्रार्थना करें कि इस प्रभाव की घोषणा के लिए एक डिक्री कि 1991 के सिविल सूट No.317 दिनांक 19.8.1991 में पारित किया गया डिक्री अवैध, अमान्य, बिना कानूनी आवश्यकता के है। और वाद में ऊपर बताए गए आधारों पर विचार, और वही प्रतिवादियों के पक्ष में कोई अधिकार नहीं देता है।

सं. 1 से 3 तक और वादी के किसी भी प्रत्यावर्ती अधिकार को प्रभावित नहीं करता है और वादी विचाराधीन भूमि के कब्जे में मालिक हैं, पूरी तरह से विस्तृत और पैरा संख्या में वर्णित हैं। 3 स्थायी निषेधाज्ञा के परिणामी राहत के साथ उपरोक्त वाद का प्रतिवादियों को आगे किसी और को विचाराधीन भूमि को अलग करने के लिए, कृपया वादी के पक्ष में और इसके खिलाफ पारित किया जा सकता है

इस मुकदमे की लागत के साथ प्रतिवादी।

कोई अन्य राहत जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे और

वादी को भी उचित अनुमति दी जा सकती है।

9. दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है कि श्रीमती के पति श्री शेर सिंह। कृषि भूमि में जगनो का आधा हिस्सा था। गाँव गढ़ी बाजिदपुर, जो उपयुक्त संपत्ति थी। 1953 में शेर सिंह की मृत्यु हो गई। श्रीमती. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को लागू करने के बाद धारा 14 के आधार पर जगनो मुकदमे की संपत्ति के आधे हिस्से का पूर्ण मालिक बन गया। पक्षकारों के बीच विवाद की जड़ें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 1991 के सिविल सूट No.317 में उप–न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 19.08.1991 डिक्री के इर्द–गिर्द केंद्रित हैं। 1 3 के खिलाफ श्रीमती। जगनो की तलाश

घोषणा करें कि वे मुक़दमे की भूमि के मालिक हैं। 1991 के सिविल सूट No.317 में, पैराग्राफ 2 और 3 में निम्नलिखित अनुरोध किया गया थाः

3. कि प्रतिवादी गाँव में वादी के साथ रह रहा है चकरपुर और वादी उसकी बुढ़ापे में उसकी देखभाल कर रहे हैं। और कुशल को कोई समस्या नहीं है। कुशल वादी की सेवाओं से बहुत खुश है और प्यार और स्नेह के कारण, कुशल ने वादी को उपरोक्त भूमि बराबर में आवंटित की थी।

एक पारिवारिक समझौते/व्यवस्था में हिस्सेदारी, जो लगभग 2 साल पहले हुई थी और तब से वादी उक्त भूमि के कब्जे में मालिक हैं और कुशल ने उसमें सभी अधिकार छोड़ दिए थे।

10. उपरोक्त मुकदमे में श्रीमती द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था। जगनो प्रतिवादियों के दावे को स्वीकार करता है। निचली अदालत ने अपने दिनांकित आदेश में

19.08.1991 पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 2. प्रतिवादी पेश हुआ और वादी के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बयान दायर किया। पक्षों के बयान भी दर्ज किए गए। पक्षकारों के लिखित बयान और बयानों को ध्यान में रखते हुए, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ घोषणा के लिए एक सहमति डिक्री पारित की जाती है, जिसके लिए पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। डिक्री शीट तैयार की जाए और फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए।

11. इस अपील में विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैंः

(1) क्या 1991 के सिविल सूट No.317 में पारित दिनांकित 19.08.1991 डिक्री के लिए धारा 17 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908? ; और

(2) क्या प्रतिवादी Nos.1 से 3 तक प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अजनबी थे ताकि उसे किसी भी परिवार में प्रवेश करने के लिए अक्षम किया जा सके

प्रतिवादी संख्या के साथ व्यवस्था। 1 3 तक?

प्रश्न संख्या (1)

12. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1991 के पहले के सिविल सूट No.317 में, जिसमें 19.08.1991 पर सहमति आदेश पारित किया गया था, विषय वस्तु है।

गाँव गढ़ी, बाजिदपुर में स्थित कृषि भूमि सूट की थी। इसके अलावा श्रीमती द्वारा दायर लिखित बयान पर मुकदमा चलाया गया। जगनो वादियों के इस दावे को स्वीकार करते हुए कि उन पक्षों के बीच पारिवारिक समझौता था जिसमें भूमि का आधा हिस्सा 1991 के दीवानी मुकदमे के वादियों को दिया गया था। सवाल यह है कि क्या 19.08.1991 पर पारित डिक्री के लिए भारतीय संविधान की धारा 17 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है।

पंजीकरण अधिनियम, 1908। धारा 17 (1) और 17 (2) (vi), जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैंः

" 17. दस्तावेज़ जिनका पंजीकरण अनिवार्य है। – (1) निम्नलिखित दस्तावेजों को पंजीकृत किया जाएगा, यदि वह संपत्ति जिसमें वे संबंधित हैं, उस जिले में स्थित है जिसमें, और यदि उन्हें उस तारीख को या उसके बाद निष्पादित किया गया है जिस पर, अधिनियम सं। 1864 का XVI, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1866, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1871, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1877, या

यह अधिनियम आया या लागू हुआ, अर्थात्ः

अचल संपत्ति; (ग) गैर–वसीयती दस्तावेज जो सृजन के कारण किसी भी प्रतिफल की प्राप्ति या भुगतान को स्वीकार करते हैं,

ऐसे किसी भी अधिकार की घोषणा, समनुदेशन, सीमा या विलोपन,

शीर्षक या ब्याज; और

(घ) साल दर साल अचल संपत्ति के पट्टे, या किसी भी

एक वर्ष से अधिक की अवधि, या वार्षिक किराया आरक्षित करना;

(ई) गैर–वसीयती दस्तावेज जो किसी न्यायालय या किसी पुरस्कार की किसी डिक्री या आदेश को स्थानांतरित या निर्दिष्ट करते हैं जब ऐसी डिक्री या आदेश या पुरस्कार का उद्देश्य अचल संपत्ति पर या उसमें एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज, चाहे वह निहित हो या आकस्मिक, बनाने, घोषित करने, सौंपने, सीमित करने या समाप्त करने के लिए संचालित होता है:]

बशर्ते कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रकाशित कर सकती है

आधिकारिक राजपत्र में, इस उप के संचालन से छूट

धारा किसी जिले या जिले के किसी भाग में निष्पादित कोई पट्टा, जिसके द्वारा दी गई शर्तें पाँच वर्ष से अधिक नहीं हैं और वार्षिक

आरक्षित किराया जिसके द्वारा पचास रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

XXXXXXXXXXXXXX

(2) उप–धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में कुछ भी लागू नहीं होता है

((vi) किसी समझौते पर की जाने वाली डिक्री या आदेश को छोड़कर किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश जिसमें वाद या वाद का विषय वस्तु के अलावा अन्य अचल संपत्ति शामिल है।

कार्यवाही; या

XXXXXXXXXXX "

13. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह है कि 1991 के सिविल सूट No.317 के वादी में कोई मौजूदा अधिकार नहीं था, जैसे कि धारा (बी) के तहत आवश्यक पंजीकरण की तारीख 19.08.1991 क्योंकि डिक्री ने वादी के पक्ष में अधिकार बनाया था।

खुशी राम और ओआरएस के समर्थन में। वी. नवल सिंह और हमारा। [अशोक भूषण, जे।]

प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है

पी सिंह बनाम राम सिंह मेजर और अन्य। , (1995) 5 एस. सी. सी. 709

इस न्यायालय ने समझौता डिक्री सहित उस डिक्री या आदेश को अभिनिर्धारित किया

Rs.100 या उससे ऊपर की अचल संपत्ति में नया अधिकार, अधिकार या ब्याज अनिवार्य रूप से पंजीकृत है। पैराग्राफ 17 में8 निर्णय के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई थी:

" 17. अतः यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इसकी जाँच करे।

प्रत्येक मामले में क्या पक्षकारों का पहले से अधिकार है

अचल संपत्ति, या क्या न्यायालय के आदेश या डिक्री के तहत एक पक्ष जिसका अधिकार, स्वामित्व या हित है, सहमत हुआ या

इसे समाप्त करने के लिए पीड़ित हुए और पहली बार किसी अन्य पक्ष के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज बनाया, या तो समझौता करके या

सहमति का नाटक किया। यदि बाद वाला पद है, तो दस्तावेज़ है अनिवार्य रूप से पंजीकृत।

18. कानूनी स्थिति क्यूए खंड (vi), के आधार पर कर सकते हैं

उपरोक्त चर्चा का सारांश नीचे दिया गया हैः

(1) यदि समझौता आदेश प्रामाणिक है, इस अर्थ में कि समझौता स्टाम्प शुल्क के भुगतान को रोकने और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल करने का साधन नहीं है, तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत स्थिति में, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(4) यदि डिक्री में समझौते की शर्तों को शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि लाहौर मामले में स्थिति थी, तो समझौते की शर्तों से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही किसी मुकदमे को विचाराधीन समझौते के कारण निपटाया जाना हो।
(5) यदि डिक्री द्वारा व्यवहार की गई संपत्ति "वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु" नहीं है, तो उप–धारा (2) का खंड (vi) इस खंड [2021] 4 एस. सी. आर. के संशोधन के कारण काम नहीं करेगा।

1929 के अधिनियम 21 द्वारा, जिसका उद्गम उपरोक्त निर्णय में है।

प्रिवी काउंसिल, जिसके अनुसार मूल खंड

आकर्षित किया गया होगा, भले ही यह शामिल करना था संपत्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया है "।

14. भूप सिंह के मामले (ऊपर) में पारित आदेश दिया गया है

फैसले के पैराग्राफ 2 में उद्धृत, जिसने स्पष्ट रूप से साबित किया कि घोषणा दी गई थी कि वादी आज से कब्जे में मालिक होगा। उपरोक्त मामले में, मुकदमे का फैसला समझौते के आधार पर किया गया था, हालांकि डिक्री इस आधार पर है कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया लिखित कथन में वादी का दावा।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे निर्भरता रखी है। 2008 की सिविल अपील No.890 में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर–माता दीन बनाम मदन लाल और अन्य। , जिस मामले में भी, वादी प्रतिवादियों के पक्ष में पारिवारिक समझौते के आधार पर डिक्री पारित की गई थी। पारित आदेश को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता थी

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) (vi) के तहत, जो नहीं किया गया था, निर्णय को दरकिनार कर दिया गया था और मामले को कानून के प्रश्न पर विचार के लिए रिमांड पर ले लिया गया था। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय की टिप्पणी निम्नलिखित प्रभाव से हैः

..... दूसरा अपीलीय न्यायालय था

मामले के इस पहलू की जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण है कानून का प्रश्न जो धारा 100 के तहत विचार के लिए आता है

सी. पी. सी., जैसा कि देखा जा सकता है, द्वारा पारित विवादित निर्णय

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इसके प्रयोग में अपीलीय अधिकारिता और यह सारवान नहीं था

डिक्री के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में कानून का प्रश्न

पहले प्रतिवादी के पक्ष में और गैर के लिए परिणाम

अधिनियम की धारा 17 (2) (vi) के तहत डिक्री का पंजीकरण और भूप सिंह बनाम राम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून।

सिंह मेजर और अन्य। , (1995) 5 एस. सी. सी. 709 मामले में लागू नहीं होता है। हाथ पर, जिसने विवादित निर्णय और डिक्री को खराब कर दिया कानून में। ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम अलग रखते हैं उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री और मामले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ मामले को उसे भेज दें खुशी राम और ओआरएस के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद। पक्षों पर विचार करें और उन्हें सुनें और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें। चूंकि मामला 1995 का है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, लेकिन इसकी प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के बाद नहीं। यह आदेश।

अपील का उसी के अनुसार निपटारा किया जाता है।

16. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट नहीं है कि पारिवारिक समझौते के आधार पर पारित डिक्री, वाद संपत्ति से संबंधित है या डिक्री में शामिल संपत्ति से संबंधित नहीं है। सूट भूमि का हिस्सा। उपरोक्त तथ्य महत्वपूर्ण है और इस न्यायालय द्वारा रिमांड को देखते हुए इसका निर्धारण किया जाना बाकी है, इसलिए उक्त निर्णय को अपीलार्थी के विद्वान वकील को कोई समर्थन देने वाला नहीं कहा जा सकता है।

17. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री मनोज स्वरूप ने दूसरी ओर सोम देव और अन्य के निर्णय पर भरोसा किया है।

बनाम रति राम और अन्र। , (2006) 10 एससीसी 788। उपरोक्त एक ऐसा मामला था जहां डिक्री पारिवारिक व्यवस्था के तहत पूर्व–मौजूदा अधिकारों को मान्यता देने वाले एक प्रवेश पर आधारित थी। इस अदालत ने माना कि उपरोक्त मामले में, डिक्री को धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

18. इस न्यायालय ने के. रघुनाथन मामले में एक बाद के फैसले में और अन्य बनाम अली हुसैन साबिर और अन्य। , (2008) 13 एस. सी. सी. 102, न्यायालय को धारा 17 की व्याख्या करने का अवसर मिला और पैराग्राफ 23,24,25 और 28 में निम्नलिखित निर्धारित किया गयाः

" 23. तथापि, अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2) में एक अपवाद दिया गया है जिसमें कहा गया है कि खंड (बी) और खंड (बी) में कुछ भी नहीं है। (ग) धारा 17 की उप–धारा (1) अन्य बातों के साथ–साथ किसी अदालत के किसी डिक्री या आदेश पर लागू होगी, सिवाय किसी डिक्री या आदेश के जिसे व्यक्त किया गया हो।

एक समझौता किया जाए और जिसमें अचल संपत्ति शामिल हो

उस विषय के अलावा जो वाद का विषय है या

आगे बढ़ रहा है "। भले ही पारित होना वाद का विषय नहीं था, निर्विवाद रूप से, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 के संदर्भ में, एक समझौता डिक्री की अनुमति थी।

24. उक्त प्रावधान के एक सादे पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक संपत्ति जो वाद या कार्यवाही का विषय नहीं है, खंड में निहित अपवाद के दायरे में आएगी।

((vi) अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2)। यदि किसी अचल संपत्ति के संबंध में समझौता किया जाता है, जिसमें शामिल हैंः

मुकदमे या [2021] 4 एस. सी. आर. के विषय–वस्तु के अलावा। इसे 1929 के अधिनियम 21 द्वारा जोड़ा गया था।

25. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करता है और न ही कर सकता है। कथित तौर पर

मार्ग वाद का विषय नहीं है, यदि चाहा जाए तो प्रत्यर्थी द्वारा स्थानांतरित–अपीलार्थी के पक्ष में प्रतिवादी वादी या यदि उसके कारण से उन्होंने अपना त्याग कर दिया है अधिकार और अपीलार्थी–वादियों के अधिकारों को मान्यता दी, इसका पंजीकरण अनिवार्य था। पहली अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया तो उच्च न्यायालय ने भी उक्त निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया।

28. भूप सिंह [(1995) 5 एस. सी. सी. 709], अन्य बातों के साथ, बताते हैंः

" 18. (1) समझौता डिक्री यदि प्रामाणिक है, तो इस अर्थ में कि समझौता स्टाम्प शुल्क के भुगतान को रोकने का साधन नहीं है। और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल

करता है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी पंजीकरण। इसके विपरीत स्थिति में, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

मूल्य की अचल संपत्ति में समय का अधिकार, स्वामित्व या ब्याज मुक़दमे में किसी भी पक्ष के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(मूल में जोर)

यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये है तो इसकी आवश्यकता होगी। और ऊपर। "

19. उपरोक्त फैसले में, भूप सिंह का मामला भी था

2020 (3) स्केल 146। उपरोक्त मामले में सवाल यह भी उठा कि एक डिक्री का पंजीकरण नहीं किया गया था, जिसके आधार पर अदालत ने इनकार कर दिया है। डिक्री को बाद के मुकदमे में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना। इस न्यायालय के पास धारा 17 की व्याख्या करने का अवसर था और उसने भूप सिंह और सोम देव के मामले पर भी विचार किया था। निर्णय के पैराग्राफ 6,8,13 और 14 में, जो प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैंः

" 6. न्यायालय द्वारा पारित एक समझौता डिक्री आम तौर पर होगी धारा 17 (1) (बी) के अंतर्गत आती है, लेकिन धारा 17 की उप–धारा (2) किसी अदालत की किसी डिक्री या आदेश के लिए अपवाद का प्रावधान करती है, सिवाय उस डिक्री या आदेश के जो किसी समझौते पर किए जाने के लिए व्यक्त की जाती है और जिसमें उस संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति शामिल होती है जो वाद या कार्यवाही का विषय है। इस प्रकार, धारा 17 की उप–धारा (2) (vi) के आधार पर किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उप–धारा (2) के उप–खंड (vi) में, एक श्रेणी को उप–खंड (vi), अर्थात डिक्री या आदेश से अलग किया गया है।

जिसे किसी समझौते पर व्यक्त किया जाता है और जिसमें उस संपत्ति के अलावा अन्य अचल संपत्ति शामिल होती है जो वाद या कार्यवाही का विषय है। इस प्रकार, धारा 17 (1) (बी) और धारा 17 (2) (vi) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक समझौता डिक्री जिसमें अचल संपत्ति शामिल है, जिसके अलावा मुकदमा या कार्यवाही का विषय है, के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है, हालांकि किसी अदालत के किसी भी डिक्री या आदेश को धारा 17 (2) (vi) के आधार पर पंजीकरण से छूट दी गई है। 1984 के वाद संख्या 250–ए में पारित डिक्री की एक प्रति को अनुलग्नक पी–2 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है, जो इंगित करता है वह डिक्री दिनांक 4–10–1985 अदालत द्वारा संपत्ति के लिए पारित की गई थी, जो मुकदमे का विषय था। इस प्रकार,

धारा 17 (2) (vi) में अपवर्जन खंड लागू नहीं है और 4–10–1985 दिनांकित समझौता डिक्री की आवश्यकता नहीं थी धारा 17 (2) (vi) के सादे पठन पर पंजीकृत। उच्च न्यायालय ने भूप सिंह बनाम राम मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।

सिंह मेजर और अन्य, (1995) 5 एस. सी. सी. 709, जिस मामले में, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) (vi) का प्रावधान विचार के लिए आया था। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने खंड (vi) पर विचार करते हुए पैरा 16,17 और 18 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 16. हमें खंड (vi) की पहुंच को देखना होगा, जो उप–धारा (1) के लिए एक अपवाद है, उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए। हम सोचेंगे कि उत्कीर्ण किया गया अपवाद कवर करने के लिए है

किसी अदालत की वह डिक्री या आदेश, जिसमें एक समझौते पर की जाने वाली डिक्री या आदेश भी शामिल है, जो घोषित करता है –

पूर्व–विद्यमान अधिकार और अपने आप में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में नया अधिकार, शीर्षक या ब्याज नहीं बनाता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को पंजीकरण से बचने की शरारत मिलेगी, जिसके लिए डिक्री या आदेश में अंतर्निहित स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होती है।

17. इसलिए, प्रत्येक मामले में यह जांच करना न्यायालय का कर्तव्य होगा कि क्या पक्षकारों को अचल संपत्ति पर पूर्व–विद्यमान अधिकार है, या क्या न्यायालय के आदेश या डिक्री के तहत एक पक्षकार जिसका अधिकार, स्वामित्व या हित है, सहमत हुआ या उसे समाप्त करने के लिए पीड़ित हुआ और उसने पहली बार समझौते या नाटक सहमति से दूसरे पक्षकार के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज बनाया। यदि बाद वाला पद है, तो दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीकृत है।

18. उपखंड (vi) के तहत कानूनी स्थिति को उपरोक्त चर्चा के आधार पर नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(1) यदि समझौता आदेश प्रामाणिक है, इस अर्थ में कि समझौता स्टाम्प शुल्क के भुगतान को रोकने और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल करने का साधन नहीं है, तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत स्थिति में, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी। (2) यदि समझौता डिक्री पहली बार किसी पक्ष के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज का सृजन करती है, तो

डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(4) यदि डिक्री की शर्तों को शामिल नहीं करना था समझौता, जैसा कि लाहौर मामले में स्थिति थी, समझौते की शर्तों से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही समझौते के कारण एक मुकदमे का निपटारा किया जाना था।

सवाल करते हैं।

(5) यदि डिक्री द्वारा व्यवहार की गई संपत्ति "वाद या कार्यवाही का विषय" नहीं है, तो उप–धारा (2) का खंड (vi) कार्य नहीं करेगा, क्योंकि –

1929 के अधिनियम 21 द्वारा इस खंड का संशोधन, जिसका मूल प्रिवी काउंसिल के उपरोक्त निर्णय में है,

जिसके अनुसार मूल खंड होता आकर्षित, भले ही यह संपत्ति को शामिल करने के लिए नहीं था भूप सिंह (उपरोक्त) के उपरोक्त निर्णय के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि समझौता आदेश दिनांक 4-10-1985 ने किया था» वादी के किसी भी पूर्व-विद्यमान अधिकार की घोषणा नहीं करता है, इसलिए इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने गुरुद्वारा हिब बनाम ग्राम पंचायत सिरथला और एक अन्य (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया।

घ ने पैरा 11,12 और 13 में निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" 11. वर्तमान मामले में, पहले के मुकदमे सी. एस. संख्या 250-ए/1984 में याचिकाकर्ता ने की याचिका पर अधिकार की घोषणा का दावा किया था

मुकदमे में प्रतिकूल कब्जा और समझौता डिक्री पारित की गई थी। यह तथ्य कि मुकदमा याचिका पर आधारित था प्रतिकूल कब्जा दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पास कोई पूर्व अधिकार नहीं था मुक़दमे की संपत्ति में मौजूदा स्वामित्व। जब तक मुकदमे का फैसला नहीं किया गया था, तब तक याचिकाकर्ता केवल एक अतिक्रमणकारी था, जो अधिक से अधिक अधिकार से इनकार करता था

वैध मालिक।

12. गुरुद्वारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट

साहिब वी. (2014) 1 एस. सी. सी. 669 में ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला ने याचिका के आधार पर उस घोषणात्मक आदेश का निपटारा किया है।

प्रतिकूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है और प्रतिकूल

कब्जे का उपयोग केवल रक्षा में ढाल के रूप में किया जा सकता है

प्रतिवादी। यह माना गया है किः

" 7. दूसरी अपील में, प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व की राहत को फिर से यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि ऐसा मुकदमा नहीं है। बनाए रखने योग्य। इस हद तक कोई विवाद नहीं हो सकता है कि नीचे की अदालतों के निर्णय सही हैं और बिना किसी दोष के हैं। यहां तक कि अगर वादी प्रतिकूल कब्जे में पाया जाता है, तो वह इस आशय की घोषणा की मांग नहीं कर सकता है कि

इस तरह के प्रतिकूल अधिकार स्वामित्व में परिपक्व हो गए हैं। केवल तभी जब अपीलार्थी और अपीलार्थी के खिलाफ दायर कार्यवाही को प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह इस प्रतिकूल स्थिति का उपयोग कर सकता है।

ढाल/रक्षा के रूप में अधिकार "।

13. सीमा अधिनियम की धारा 27 के आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका किसी भी योग्यता से रहित पाई गई है क्योंकि यह सीमा अधिनियम की समाप्ति के बाद वैध मालिक के अधिकार के विलुप्त होने से संबंधित है, लेकिन गुरुद्वारा साहिब (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, याचिकाकर्ता स्वयं को स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता है।

कहा सीमा। "[2021] 4 एस. सी. आर.

13. सोम देव बनाम में यह न्यायालय। रति राम और एक और, (2006) 10

एस. सी. सी. 788 धारा 17 (2) (vi) और धारा 17 (1) (b) की व्याख्या करते हुए

और (ग) अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के सभी फरमानों और आदेशों सहित

के रूप में संदर्भित अपवाद के अधीन समझौता डिक्री

वे गुण जो विषय के बाहर हैं–वाद का विषय नहीं है

पंजीकरण की आवश्यकता है। पैरा 18 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया:

" 18. .....

लेकिन सम्मान के साथ, यह इंगित किया जाना चाहिए

(बी) और (सी) पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 को आकर्षित किया जाता है। यहाँ तक कि समझौते पर एक डिक्री के लिए भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

यदि वह ऐसी संपत्ति नहीं लेता है जो विषय नहीं है –

सूट...

14. वर्तमान मामले के तथ्यों में, डिक्री दिनांकित 4–10–1985

संपत्ति के संबंध में था, जो विषय था – वाद, इसलिए धारा के अपवर्जन खंड द्वारा कवर नहीं किया गया है

17 (2) (vi) और वर्तमान मामला मुख्य अपवाद द्वारा कवर किया गया है।

धारा 17 (2) (vi) अर्थात "न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश" में तैयार किया गया है।

जब धारा 17 (1) (बी) द्वारा आवश्यक किसी साधन का पंजीकरण किया जाता है। धारा 17 (2) (vi) द्वारा विशेष रूप से यह प्रावधान करके बाहर रखा गया है कि

उप–धारा (1) के खंड (ख) और (ग) में कुछ भी किसी पर लागू नहीं होता है।

अदालत की डिक्री या आदेश, हमारा विचार है कि

दिनांकित समझौता डिक्री 4–10–1985 को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी और विद्वान सिविल न्यायाधीश के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने गलती की

अन्यथा धारण करें। हम, इस प्रकार, सिविल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर देते हैं

दिनांक 7–1–2015 के साथ–साथ उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांकित

13–2–2017 . समझौता डिक्री दिनांकित 4–10–1985 निर्देशित है

विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किया जाना। अपील की अनुमति है

तदनुसार "।

20. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस डिक्री के बाद से जिसकी मांग की गई थी

प्रदर्शित संपत्ति उस संपत्ति के संबंध में थी जो वाद का विषय थी, इसलिए, धारा 17 (2) (vi) के अपवर्जक खंड द्वारा कवर नहीं की गई थी और डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांकित सहमति डिक्री वाद की विषय वस्तु से संबंधित है, इसलिए इसे धारा 17 (2) (vi) के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी और यह अपवर्जक खंड द्वारा कवर किया गया था। इस प्रकार, हम प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हैं कि सहमति आदेश दिनांक 19.08.1991 खुशी राम और ओआरएस।

यह रजिस्ट्रेबल नहीं था और नीचे के न्यायालयों ने उचित रूप से माना है कि डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

प्रश्न संख्या 2

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील का निवेदन है कि सहमति आदेश श्रीमती के भतीजों के पक्ष में पारित किया गया था। जगनो, जो वादी के परिवार से संबंधित नहीं हैं–अपीलार्थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी–अपीलकर्ता बादलू के परिवार से थे, जो संपत्ति के कार्यकाल धारक थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त

उत्तरदाता श्रीमती के परिवार से हैं। जगनो श्रीमती के भाई का बेटा है। जगनो, यानी भतीजे, इसलिए, वे अलग–अलग परिवार से हैं और उनके साथ कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी।

22. उपरोक्त मुद्दे का जवाब देने से पहले, यह पता लगाना आवश्यक है

परिवार की अवधारणा क्या है जिसके संबंध में पारिवारिक समझौता किया जा सकता है। राम चरण दास बनाम गिरजानंदिनी देवी और अन्य मामलों में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। , 1965 (3) एस. सी. आर. 841 के पास अचल संपत्ति के संबंध में पारिवारिक समझौते पर विचार

करने का अवसर था, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि पारिवारिक समझौते के तहत लाभ लेने वाले प्रत्येक पक्ष को किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और संपत्ति पर संभावित दावा या दावा या यहां तक कि दावे की झलक भी होनी चाहिए। पृष्ठ 851 पर निम्नलिखित जानकारी दी गई हैः

..... सबसे पहले, एक बार जब यह माना जाता है कि लेन–देन एक पारिवारिक समझौता होने के नाते एक अलगाव नहीं है, तो यह ब्याज के सृजन के बराबर नहीं हो सकता है। के लिए, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने एमएसटी में बताया है। हिरन बीबी मामला [ए. आई. आर. 1914 (पी. सी.) 44] एक पारिवारिक समझौते में प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र स्वामित्व के आधार पर संपत्ति में एक हिस्सा लेता है जिसे अन्य पक्षों द्वारा उस हद तक स्वीकार किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि रंगासामी के निर्णय से पता चलता है।

पारिवारिक समझौते के तहत लाभ लेने के लिए आवश्यक रूप से कानून के तहत, संपत्ति में हिस्से का दावा दिखाया जाना चाहिए। केवल यह आवश्यक है कि पक्ष एक दूसरे से संबंधित हों। किसी भी तरह से और संपत्ति पर संभावित दावा या दावा या यहां तक कि किसी अन्य आधार पर दावे की झलक, जैसे, स्नेह।

23. काले और अन्य मामलों में इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय में तीन न्यायाधीशों की पीठ। बनाम समेकन और अन्य उप निदेशक। , (1976) 3 एस. सी. सी. 119 ने परिवार [2021] 4 एस. सी. आर. के सभी रूपों पर विस्तार से विचार किया था।

समझौता। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि "परिवार" शब्द को व्यापक अर्थों में समझा जाना चाहिए ताकि इसके दायरे में न केवल करीबी संबंधियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किया जा सके, बल्कि उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके जिनके पास किसी प्रकार की पूर्ववर्ती उपाधि हो सकती है, जो किसी दावे की झलक हो सकती है या भले ही उनके पास कोई जासूस उत्तराधिकार हो। पैराग्राफ 9 और 10 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 9. पक्षों द्वारा प्रस्तुत संबंधित विवादों से निपटने से पहले, हम विवादों को हमेशा के लिए हल करने की दृष्टि से पक्षों के बीच की गई पारिवारिक व्यवस्थाओं के प्रभाव और मूल्य पर सामान्य रूप से चर्चा करना चाहेंगे। एक पारिवारिक समझौते या व्यवस्था के आधार पर एक समान पूर्वज या निकट संबंध से आने वाले परिवार के सदस्य अपने मतभेदों और विवादों को दूर करने, अपने परस्पर विरोधी दावों या विवादित खिताबों को हमेशा के लिए निपटाने और हल करने की कोशिश करते हैं ताकि मन की शांति मिल सके और परिवार में पूर्ण सद्भाव और सद्भावना आ सके। परिवार...

व्यवस्थाएँ एक विशेष इक्विटी द्वारा शासित होती हैं जो विशिष्ट होती है –

स्वयं और अगर ईमानदारी से किया जाता है तो लागू किया जाएगा। इस संबंध में, केर ने धोखाधड़ी पर अपने मूल्यवान ग्रंथ केर में पी। 364 पारिवारिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां करता है जिन्हें इस प्रकार निकाला जा सकता हैः

" अजनबियों के बीच सामान्य समझौते के मामले में लागू होने वाले सिद्धांत पारिवारिक व्यवस्था की प्रकृति में समझौते के मामले में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। पारिवारिक व्यवस्थाएँ अपने लिए एक विशेष समानता द्वारा शासित होती हैं, और अगर ईमानदारी से की जाती हैं तो उन्हें लागू किया जाएगा, हालांकि वे एक समझौते के रूप में नहीं किए गए हैं, लेकिन सभी पक्षों की एक त्रुटि से आगे बढ़े हैं, जो गलती या तथ्य की अज्ञानता से उत्पन्न होती है कि उनके अधिकार वास्तव में क्या हैं, या उन बिंदुओं के बारे में जिन पर उनके अधिकार वास्तव में निर्भर हैं।

एक समतावादी समाज का निर्माण करें और समाज के पूर्ण पुनर्निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। और परिवार की एकता और एकरूपता को बनाए रखें जिसके परिणामस्वरूप अंततः समाज और इसलिए, पूरे देश का एकीकरण है

समय की प्रमुख आवश्यकता। एक पारिवारिक व्यवस्था जिसके द्वारा संपत्ति को विभिन्न दावेदारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है इसलिए खुशी राम और ओआरएस।

धन के बजाय समान वितरण प्राप्त करने के लिए

इसे कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित करना निस्संदेह सामाजिक न्याय के प्रशासन में एक मील का पत्थर है। यही कारण है कि "परिवार" शब्द को व्यापक अर्थों में समझना होगा ताकि इसके दायरे में न केवल करीबी संबंधियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किया जा सके, बल्कि उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके जिनके पास किसी प्रकार का पूर्ववर्ती खिताब हो सकता है, जो किसी दावे की झलक है या भले ही उनके पास कोई जासूस उत्तराधिकार हो, ताकि भविष्य के विवादों को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए और परिवार अपने दावों से लड़ने के बजाय समय, धन और शक्ति बर्बाद कर सके। इस तरह के निष्फल या व्यर्थ मुकदमे देश के व्यापक हित में अधिक रचनात्मक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। इसलिए अदालतें तकनीकी या तुच्छ बातों पर परेशान करने के बजाय पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हैं।

आधार। जहाँ अदालतों को पता चलता है कि पारिवारिक व्यवस्था में कोई कानूनी कमी या औपचारिक दोष है, वहाँ रोक का नियम लागू किया जाता है और व्यक्ति की याचिका को बंद करने के लिए लागू किया जाता है।

जो पारिवारिक व्यवस्था में एक पक्ष होने के नाते एक सुलझे हुए विवाद को शांत करना चाहता है और उस पारिवारिक व्यवस्था को रद्द करने का दावा करता है जिसके तहत उसने खुद कुछ भौतिक लाभ प्राप्त किए हैं। इस मुद्दे पर इंग्लैंड में कानून लगभग समान है। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, वॉल्यूम। 17 , तीसरा संस्करण, पीपी में। 215–216 , पारिवारिक निपटान की अनिवार्यताओं और सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित उपयुक्त टिप्पणियां उसी के अस्तित्व को नियंत्रित किया जाता हैः

" पारिवारिक व्यवस्था एक ही परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौता है, जिसका उद्देश्य आम तौर पर और उचित रूप से

संदिग्ध या विवादित समझौता करके परिवार का लाभ

अधिकार या पारिवारिक संपत्ति का संरक्षण करके या मुकदमेबाजी से बचकर या उसके सम्मान को बचाकर परिवार की शांति और सुरक्षा। समझौता लेन–देन के एक लंबे पाठ्यक्रम से निहित हो सकता है, लेकिन समझौते को मूर्त रूप देना या प्रभावी बनाना अधिक सामान्य है।

विलेख जिस पर "पारिवारिक व्यवस्था" शब्द लागू होता है।

पारिवारिक व्यवस्थाएँ उन सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं जो हैं –

अजनबियों के बीच लेनदेन पर लागू नहीं होता है। अदालत, जब पारिवारिक व्यवस्थाओं के तहत पक्षों के अधिकारों का फैसला करती है या ऐसी व्यवस्थाओं को बाधित करने का दावा करती है, तो व्यापक दृष्टिकोण में क्या विचार करती है।

मामला सबसे अधिक परिवारों के हित के लिए है, और उन विचारों को ध्यान में रखता है जो व्यक्तियों के बीच लेनदेन से संबंधित हैं।

एक ही परिवार के सदस्यों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

ऐसे मामले जो अजनबियों के बीच समान लेनदेन की वैधता के लिए घातक होंगे, वे पारिवारिक व्यवस्थाओं के बाध्यकारी प्रभाव के लिए आपत्तियां नहीं हैं।

10. दूसरे शब्दों में, पारिवारिक समझौते के बाध्यकारी प्रभाव और अनिवार्यताओं को ठोस रूप में रखने के लिए, मामले को निम्नलिखित प्रस्तावों के रूप में घटाया जा सकता हैः

(2) उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। (3) पारिवारिक व्यवस्था मौखिक भी हो सकती है जिसमें किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

(4) यह अच्छी तरह से तय है कि पंजीकरण आवश्यक होगा

केवल तभी जब पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों को कम कर दिया जाए

लिखना। यहाँ भी, पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों और पाठों वाले दस्तावेज़ के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ के तहत बनाया गया और परिवार की व्यवस्था के बाद तैयार किया गया एक ज्ञापन या तो रिकॉर्ड के उद्देश्य से या आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अदालत की जानकारी के लिए पहले ही तैयार किया जा चुका था। ऐसे मामले में ज्ञापन स्वयं करता है

इसलिए यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) की शरारत के दायरे में नहीं आता है और इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है। (5) जो सदस्य पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकार हो सकते हैं, उनके पास कुछ पूर्व स्वामित्व, दावा या ब्याज होना चाहिए, यहां तक कि संपत्ति में एक संभावित दावा भी होना चाहिए जिसे समझौते के पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भले ही समझौते के पक्षों में से एक का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तहत दूसरा पक्ष ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अपने सभी दावों या खिताबों को छोड़ देता है और उसे एकमात्र मालिक के रूप

में स्वीकार करता है, तो पूर्ववर्ती शीर्षक मान लिया जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा और अदालतों को इसे मंजूरी देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(6) भले ही प्रामाणिक विवाद, वर्तमान या संभव, जिनमें कानूनी दावे शामिल नहीं हो सकते हैं, एक प्रामाणिक परिवार खुशी राम और ओआरएस द्वारा निपटाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो निष्पक्ष और न्यायसंगत हो, पारिवारिक व्यवस्था अंतिम है और समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है।

24. पहले के फैसले की समीक्षा करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्धारित किया

पैराग्राफ 19 में कहा गया हैः

" 19. इस प्रकार ऊपर विश्लेषण किए गए निर्णयों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अदालतों ने पारिवारिक समझौते की वैधता के बारे में बहुत उदार और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और हमेशा इसे बनाए रखने और बनाए रखने का प्रयास किया है। अदालतों द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण में केंद्रीय विचार यह है कि यदि पक्षों की सहमति से किसी मामले का निपटारा किया गया है, तो इसे पार्टियों द्वारा फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

तुच्छ या असमर्थनीय आधारों पर समझौता।

25. उपरोक्त मामले में, काले, जिसके साथ अन्य की दो बहनों ने पारिवारिक समझौता किया था, यू. पी. किरायेदारी अधिनियम, 1939 के अंतर्गत एक कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन काले में प्रवेश किए गए पारिवारिक समझौते को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। पैराग्राफ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था

" 27. जहाँ तक पहले बिंदु का संबंध है, हमें यह कानून में पूरी तरह से असमर्थनीय प्रतीत होता है। हमारे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और ऊपर चर्चा किए गए मामले के कानून से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि "परिवार" शब्द का संकीर्ण अर्थ में अर्थ नहीं लगाया जा सकता है ताकि पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकारों को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखा जा सके जिनके पास संपत्ति का कानूनी अधिकार है। फिर भी इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी काले लच्मन का पोता है और इसलिए एक प्रत्यावर्तक है।

जैसा कि उत्परिवर्तन याचिका में निर्दिष्ट किया गया है, प्रत्यर्थियों 4 और 5 को विवादित भूमि में पूर्ण और स्थायी अधिकार दिए गए थे। 1955 में जब समझौता होने का आरोप है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पारित नहीं किया गया था और उत्तरदाता 4 & 5 केवल एक सीमित ब्याज होगा, भले ही उन्हें पूरी संपत्ति मिल गई हो, जो अंततः [2021] 4 एस. सी. आर. के बाद अपीलार्थी काले के पास चली जाएगी। लच्मन की संतानों के बीच, अर्थात्, उसकी दो बेटियाँ और उनकी बेटी के बेटे ने समान शेयरों में काले की अपील की और इसलिए वह निष्पक्ष और न्यायसंगत दोनों थे। वास्तव में यदि उत्तरदाता 4 और 5 को सभी भूमि मिल जाती, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 39 एकड़ होता, तो उन्हें अधिकतम सीमा कानून को देखते हुए एक बड़ा हिस्सा देना पड़ सकता है। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि सहायक आयुक्त के आदेश के बाद उत्परिवर्तन याचिका पर पारित नहीं किया गया था, बल्कि उस समय जब पक्षकार मतभेदों को दूर करने के लिए एक साथ

बैठे थे। ऊपर बताई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम संपत्तियों के अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत विभाजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो पारिवारिक व्यवस्था द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इनमें इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पारिवारिक समझौता वास्तविक नहीं था। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों 4 और 5 ने किसी भी स्तर पर राजस्व अदालतों या यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाया था कि समझौता प्रामाणिक नहीं था। उच्च न्यायालय और प्रतिवादी 1 दोनों ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि समझौता कानून के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ था।
या कि यह पंजीकृत नहीं था, हालांकि इसे पंजीकृत किया जाना चाहिए था

पंजीकरण अधिनियम के तहत "।

26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, निश्चित रूप से, प्रतिवादी–प्रतिवादी भतीजे थे, यानी, श्रीमती के भाई के बेटे।

जगनो। हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 15 पर गौर करने की आवश्यकता है, जो महिला हिंदुओं द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों के लिए महिला हिंदुओं के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों से संबंधित है, जो धारा 15 और 16 के अनुसार हस्तांतरित हैं। धारा 15 (1), जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 15. महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम हिंदू। (1) निर्वसीयत मरती हुई हिंदू महिला की संपत्ति

धारा 16 में निर्धारित नियमों के अनुसार,

(क) सबसे पहले, पुत्रों और पुत्रियों पर (उनके बच्चों सहित)

कोई भी पूर्व–मृत बेटा या बेटी) और पति; खुशी राम और ओआरएस।

वी. नवल सिंह और हमारा। [अशोक भूषण, जे।]

(ख) दूसरा, पति के उत्तराधिकारियों पर; (ग) तीसरा, माता और पिता पर;

((घ) चौथा, पिता के उत्तराधिकारियों पर; और

(ई) अंत में, माँ के उत्तराधिकारियों पर।

27. धारा 15 (1) (डी) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि पिता के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारियों में शामिल होते हैं, जो सफल हो सकते हैं। जब एक के पिता के उत्तराधिकारी

महिलाओं को ऐसे व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाता है जो संभवतः सफल हो सकती हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि वे अजनबी हैं और परिवार के सदस्य या महिला नहीं हैं।

28. वर्तमान मामले में, श्रीमती. जगनो, जो शेर की विधवा के रूप में

सिंह, जिनकी 1953 में मृत्यु हो गई थी, कृषि भूमि में आधे हिस्से में सफल हो गए थे और जब उन्होंने समझौता किया तो वह पूर्ण मालिक थीं। हम, इस प्रकार, विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं अपीलकर्ताओं ने कहा कि प्रतिवादी–प्रतिवादी परिवार के लिए अजनबी थे।

29. उपरोक्त दो प्रश्नों पर हमारी चर्चाओं को देखते हुए, हम नहीं करते हैं इस अपील में कोई योग्यता खोजें। सभी न्यायालयों ने वादी–अपीलार्थियों के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह याचिका खारिज की जाती है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

याचिका खारिज कर दी गई।